340

संख्या– /XXVIII–5–2016–23/2016

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः २६ अक्टूबर, 2016

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210–03–110–19– राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेण्टर की स्थापना के अन्तर्गत 42–अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–5प/1/25/2016–17/21519 दिनांक 27 सितम्बर, 2016 एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210–03–110–19– राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा सेण्टर की स्थापना के अन्तर्गत 42–अन्य व्यय में प्रावधानित **₹66.67 लाख (रूपये छियासठ लाख सत्सठ हजार मात्र)** संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है। बजट नियन्त्रक अधिकारी द्वारा वास्तविकता/व्यय आवश्यकता का आंकलन करते हुए एवं यथास्थिति बजट आवंटित किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के सुसंगत शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय।
4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 में वर्णित लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या–122(p)/XXVII (3)/2016 दिनांक 25 अक्टूबर,2016 में प्रदत्त सहमति के आलोक में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : ऑन लाईन एलॉटमेन्ट आई.डी. S1610120292

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1021(1)/XXVIII–5–2016–23/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
6. चिकित्सा अनुभाग–4।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव